भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1471
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण

†1471. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से घोजाडांगा, फुलबाड़ी, हिली और महादीपुर में एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को जमीन सौंपने में विलंब हुआ है;
(ख) यदि हां, तो विलंब का ब्यौरा और कारण क्या हैं;
(ग) इन एकीकृत जांच चौकियों के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और समय पर भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) इन चार आईसीपी पर ज़मीन अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): 2018 में कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद, केंद्र सरकार घोजाडांगा, फुलबाड़ी, हिली और महादीपुर सहित 07 आईसीपी के लिए अपेक्षित भूमि के आवंटन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ मामले को जोर-शोर से उठा रही है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 21.11.2023 को ही 07 आईसीपी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को भूमि की लागत हेतु अपेक्षित भुगतान उसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर दिया है और उसके बाद घोजाडांगा, फुलबाड़ी, हिली और महादीपुर नामक उक्त आईसीपी के लिए भूमि सौंपने के लिए मामले को लगातार उठा रही है। इन 04 एकीकृत जांच चौकियों के संबंध में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

आईसीपी बनने में कई स्टेज शामिल हैं, जिनमें पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन, भूमि अधिग्रहण, डी पी आर / डी ई आर तैयार करना, व्यवहार्यता अध्ययन, अनुमोदन, निविदा आदि शामिल हैं, जो स्थान, मानदंड और पूर्वापेक्षा के आधार पर अलग-अलग होते हैं।